न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2021 (रसद) (GCMS 2021/315)	**15.07.2021**	**07.06.2022**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. निलेश राजौरा पुत्र रमेश चन्द्र राजौरा निवासी बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।
2. हरिराम मीणा पुत्र भेराजी निवासी मंदावता तहसील लसाडिया जिला उदयपुर।
3. औंकार श्रीमाजली पुत्र जमना शंकर निवासी अंहिसा नगर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :–		
	प्रवर्तन अधिकारी	पैरोकार सरकार
	एक तरफा	विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी शिवराम चौधरी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.07.2021 विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पुलिस थाना बड़ीसादड़ी से दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेशानुसार आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी बड़ीसादड़ी पुलिस थाना बड़ीसादड़ी पहुॅचें। पंहुच कर थानाधिकारी पुलिस थाना बड़ीसादड़ी से सम्पर्क किया। थानाधिकारी पुलिस थाना बड़ीसादड़ी से प्राप्त तहरीर के आधार पर होटल रजवाड़ी, बोहेड़ा रोड, मासाब का खेड़ा ग्राम पंचायत पण्डेडा तहसील बड़ीसादड़ी पहुंचे। मौके पर तैनात पुलिस जाब्ता दुर्गा शंकर **HC** बेल्ट नंबर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

714 मिलें, जिनसे सम्पर्क करने पर मौके पर घरेलू गैस के सिलेण्डरो के अवैध भण्डारण के बारे में बताया। मौका निरीक्षण के दौरान होटल रजवाड़ी के सामने निर्मित दो दुकानों में घरेलू गैस के कुल 145 सिलेण्डर पाये गये। मौके पर घरेलू गैस के सिलेण्डरो के परिवहन में प्रयुक्त किये गये दो वाहन संख्या **RJ35GA1781** व **RJ27GC0189** खड़े पाये गये। मौके पर उपस्थित वाहन संख्या **RJ35GA1781** के चालक हरिराम मीणा पुत्र भैराजी निवासी मंदावता तहसील लसाड़िया जिला उदयपुर से पूछताछ कर बयान लिये गये। वाहन चालक हरिराम मीणा ने अपने बयानों में बताया कि आज सवेरे 8 बजे मैने मैसर्स सन्मति एच.पी. गैस लसाड़िया, उदयपुर के गोदाम से उक्त वाहन में घरेलू गैस के 70 सिलेण्डर भरे। वाहन में सिलेण्डर भरने के पश्चात मैसर्स सन्मति एच.पी. गैस लसाड़िया के मेनेजर ने बताया कि ये सभी 70 घरेलू गैस सिलेण्डरो को होटल रजवाड़ी, बोहेड़ा रोड मासाब का खेड़ा, बड़ीसादड़ी पर खाली करके आना है। इस पर चालक हरिराम मीणा ने प्रबंधक सन्मति एच.पी. गैस लसाड़िया के द्वारा बताये गये स्थान पर घरेलू गैस के 70 सिलेण्डरो को खाली किया। दूसरे वाहन संख्या **RJ27GC0189** के चालक ओंकार श्रीमाली पुत्र जमना शंकर निवासी अंहिसा नगर बड़ीसादड़ी ने बताया कि यह वाहन उसका स्वंय का है व वह इसे किराये पर चलाता है। आज सवेरे 9:30 बजे निलेश चौधरी ने गाड़ी किराये पर लेने हेतु उसे फोन कर नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित उसकी दुकान पर बुलवाकर वहां से 23 घरेलू गैस के खाली सिलेण्डर गाड़ी में भरकर होटल रजवाड़ी के सामने बनी दुकानों में खाली करवायें। मौके पर उपस्थित दोनो वाहनों के चालाकों हरिराम मीणा व ओंकार श्रीमाली से घरेलू गैस सिलेण्डरो के परिवहन, भण्डारण व व्यापार से संबंधित दस्तावेज मांगने पर ये किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के परिवहन, भण्डारण व व्यापार से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मौके पर पाये गये घरेलू गैस के कुल 145 सिलेण्डरो को अवैध मानते हुए एल. पी. जी. आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन पाये जाने पर इस आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा होटल रजवाड़ी के सामने निर्मित दुकानों, बोहेड़ा रोड, मासाब का खेड़ा ग्राम पंचायत पण्डेडा तहसील बड़ीसादड़ी में अवैध रूप से भण्डारित कुल 145 घरेलू गैस सिलेण्डरों व घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध परिवहन में प्रयुक्त दो वाहनों वाहन संख्या **RJ35GA1781** व **RJ27GC0189** को जब्त कर कब्जे में लिये गये। मौके पर मैसर्स राजदीप एच.पी. गैस एजेन्सी, बड़ीसादड़ी के प्रतिनिधि बलवीर सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह राठौड को बुलाकर गैस एजेन्सी के कम्प्यूटराईज्ड कांटे से घरेलू गैस के कुल 145 सिलेण्डरों को तुलवाकर तलपट्टी बनाई गई व आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त 145 घरेलू गैस के अवैध सिलेण्डरों को मैसर्स राजदीप एच.पी. गैस एजेन्सी, बड़ीसादड़ी के प्रतिनिधि बलवीर सिंह राठौड को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये। घरेलू गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी फर्द मौका के साथ संलग्न की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध परिवहन में प्रयुक्त दोनों वाहनों वाहन संख्या **RJ35GA1781** व **RJ27GC0189** को जब्त कर दुर्गा प्रसाद **HC** 1393 प्रभारी मालखाना पुलिस थाना बड़ीसादड़ी की सुपुर्दगी में दिया जाकर दोनो वाहनों के प्राप्ति के सुपुर्दगीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों वाहन चालकों हरिराम मीणा व ओंकार श्रीमाली के बयान फर्द मौका के साथ संलग्न किये गये। वाहन चालकों व गवाहो से पूछताछ करने पर पाया गया कि होटल रजवाड़ी के सामने निर्मित दुकानों, बोहेड़ा रोड, मासाब का खेड़ा, ग्राम पंचायत पण्डेडा तहसील बड़ीसादड़ी में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व अवैध व्यापार का कार्य निलेश राजोरा पुत्र रमेश चन्द्र राजोरा निवासी बड़ीसादड़ी द्वारा किया जाता है। निलेश राजोरा को मौके पर बुलाये जाने पर मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी पत्रावली पर प्रस्तुत है।

निलेश राजौरा पुत्र रमेश चन्द्र राजौरा, हरिराम मीणा पुत्र भैराजी मीणा व औंकार श्रीमली पुत्र जमना शंकर श्रीमाली द्वारा घरेलू गैस के अवैध परिवन, अवैध भण्डारण व अवैध व्यापार का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। उक्त सिलेण्डर्स का वजन फर्द जप्ती के साथ पृथक् से तैयार कर संलग्न किया गया। इस प्रकार जब्तशुदा 145घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 24.05.2022 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 07.06.2022 को पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 09.07.2021 को विपक्षीगण की जांच करने पर विपक्षीगण के कब्जे में 145 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण जांच करने पर मौके पर विपक्षीगण के कब्जे में 145 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षीगण न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षीगण की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 145 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल **1121.8 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 09.07.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण से होटल रजवाड़ी के सामने निर्मित दुकानों, बोहेड़ा रोड, मासाब का खेड़ा, ग्राम पंचायत पण्डेडा तहसील बड़ीसादड़ी से दिनांक 09.07.2021 से जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 145 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल **1121.8 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>07.06.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़